

सीएसआईआर – भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू
CSIR – INDIAN INSTITUTE OF INTEGRATIVE MEDICINE, JAMMU

संo/Ref.: 1/185(4)/हि. प्र./2026-27-राभा.

दिनांक/Date: 17.04.2026

कार्यालय ज्ञापन | OFFICE MEMORANDUM


राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(3) के अंतर्गत अधिसूचित दस्तावेजों को द्विभाषी रूप में (हिंदी एवं अंग्रेजी) जारी किया जाना अनिवार्य है / The following documents notified under Section 3(3) of the Official Language Act, 1963 must be issued in bilingual form (Hindi and English).

- संकल्प (Resolutions)
- सामान्य आदेश (General Orders)
- नियम (Rules)
- अधिसूचनाएँ (Notifications)
- प्रशासनिक तथा अन्य प्रतिवेदन (Administrative and other Reports)
- प्रेस विज्ञप्तियाँ (Press Release)
- संसद के समक्ष रखे जाने वाले प्रतिवेदन तथा कागज-पत्र (Reports and documents to be laid before the Parliament)
- अनुबंध (Contracts)
- करार (Agreements)
- अनुज्ञप्तियाँ (Licenses)
- निविदा प्रपत्र (Tender Forms)
- परिपत्र (Circulars)
- Permits (अनुज्ञा-पत्र)
- Tender Notices (निविदा सूचनाएं)

उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में यह निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय द्वारा जारी किए जाने वाले उपर्युक्त सभी दस्तावेज अनिवार्य रूप से हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों भाषाओं में ही जारी किए जाएँ। सभी अनुभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष/इस संबंध में अपने-अपने अनुभागों में अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा समय-समय पर इसकी समीक्षा करेंगे। इन दस्तावेजों को द्विभाषी जारी करने की जिम्मेदारी इन पर हस्ताक्षर करने वाले अधिकारी की होगी। इस निर्देश का अनुपालन नहीं होने की दशा में संबंधित कर्मी/अधिकारी समुचित कार्रवाई के पात्र होंगे / In compliance with the above provisions, it is hereby directed that all such documents issued by the office **shall mandatorily be issued in both Hindi and English**. All Section Heads/Department Heads shall ensure compliance in their respective sections and review the same periodically. The responsibility for issuing these documents in bilingual form shall lie with the officer signing the documents. In case of non-compliance with these instructions, the concerned employee/officer shall be liable for appropriate action.

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए /

Strict compliance of the above instructions shall be ensured.


कौशल कुमार
(प्रशासन नियंत्रक)

प्रतिलिपि / Copy to:

1. सभी अनुभाग/ विभागाध्यक्ष आवश्यक अनुपालन हेतु / All Section/Department Heads – for necessary compliance.
2. सभी कर्मचारी/All staff members
3. निदेशक सचिवालय/Director's Secretariat
4. प्रशासन नियंत्रक सचिवालय/CoA's Secretariat
5. कार्यालय प्रति/Office copy

सीएसआईआर – भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू
CSIR – INDIAN INSTITUTE OF INTEGRATIVE MEDICINE, JAMMU

सं/Ref.: 1/185(4)/हि. प्र./2026-27-राभा.

दिनांक/Date: 17.04.2026

कार्यालय ज्ञापन | OFFICE MEMORANDUM

**कार्यालय में कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मिकों द्वारा न्यूनतम 60% कार्य हिंदी में किए जाने के संबंध में /
Regarding ensuring minimum 60% work in Hindi by employees having working
knowledge of Hindi.**

राजभाषा हिन्दी के प्रावधानों के अनुपालन के क्रम में यह निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय में कार्यरत ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिन्हें हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त है, उनके द्वारा हिंदी में कार्य का प्रतिशत बढ़ाया जाना अपेक्षित है /


In compliance with the provisions of implementation of official language Hindi, it is hereby directed that officers/employees having working knowledge of Hindi should increase the percentage of work done in Hindi.

इस संबंध में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(2) तथा राजभाषा नियम, 1976 के प्रावधानों के अनुसार निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं / In this regard, as per the provisions of Section 3(2) of the **Official Language Act, 1963** and the **Official Language Rules, 1976**, the following instructions are issued:

1. राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(2) के अनुसार संघ के राजकीय कार्यों के संचालन में हिन्दी के प्रयोग को बढ़ावा दिया जाना अपेक्षित है / As per **Section 3(2)** of the Official Language Act, 1963, the use of Hindi in official work of the Union should be promoted.
2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4) के अनुसार, जिन कर्मचारियों को हिंदी का कार्यसाधक ज्ञान है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे अपने सरकारी कार्यों में हिंदी का अधिकतम प्रयोग करें। वे अपने दैनिक कार्यालयीन कार्य का न्यूनतम 60 प्रतिशत कार्य हिंदी में करना सुनिश्चित करें / As per **Rule 8(4)** of the Official Language Rules, 1976, employees having working knowledge of Hindi are expected to use Hindi to the maximum extent in their official work. They shall ensure that at least 60% of their daily official work is carried out in Hindi.
3. सभी अनुभागाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके अधीनस्थ कार्यसाधक ज्ञान प्राप्त कर्मचारी इस निर्देश का पालन करें तथा समय-समय पर इसकी समीक्षा भी करें / All Section Heads shall ensure compliance of these instructions by their subordinates and review the same periodically.
4. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अंतर्गत अनुपालन की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी तथा इसकी निगरानी राजभाषा विभाग द्वारा की जाएगी / Under **Rule 12 of the Official Language Rules, 1976**, the responsibility for compliance lies with the concerned officers, and monitoring will be done by the Official Language Department.

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए /

Strict compliance of the above instructions shall be ensured.


कौशल कुमार
(प्रशासन नियंत्रक)

प्रतिलिपि / Copy to:

1. सभी अनुभाग/ विभागाध्यक्ष आवश्यक अनुपालन हेतु / All Section/Department Heads – for necessary compliance.
2. सभी कर्मचारी/All staff members
3. निदेशक सचिवालय/Director's Secretariat
4. प्रशासन नियंत्रक सचिवालय/CoA's Secretariat
5. कार्यालय प्रति/Office copy

सीएसआईआर – भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू
CSIR – INDIAN INSTITUTE OF INTEGRATIVE MEDICINE, JAMMU

संo/Ref.: 1/185(4)/हि. प्र./2026-27-राभा.

दिनांक/Date: 17.04.2026

कार्यालय ज्ञापन | OFFICE MEMORANDUM

कार्यालय में प्रयुक्त समस्त रजिस्ट्रों के शीर्ष/शीर्षनाम द्विभाषी किए जाने एवं प्रविष्टियाँ हिन्दी में किए जाने के संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय में प्रयुक्त रजिस्ट्रों में राजभाषा हिंदी के प्रयोग को बढ़ाया जाना आवश्यक है। इस संबंध में राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(2) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6, नियम 8(4) एवं नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं /

For ensuring bilingual headings of all registers and entries in Hindi, it is hereby directed that the use of Official Language Hindi in the registers being used in the office needs to be enhanced. In this regard, as per the provisions of Section 3(2) of the **Official Language Act, 1963** and **Rules 6, 8(4), and 12** of the **Official Language Rules, 1976**, the following instructions are issued:


1. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 6 के अनुसार सभी नामपट्ट, प्रपत्र, रजिस्ट्रों के शीर्ष/शीर्षनाम आदि द्विभाषी (हिन्दी एवं अंग्रेजी) में होने चाहिए / As per **Rule 6** of the **Official Language Rules, 1976**, all **signboards, forms, and headings/titles of registers**, etc., should be bilingual (Hindi and English).
2. राजभाषा नियम, 1976 के नियम 11 के अनुसार केंद्र सरकार के कार्यालयों में उपयोग की जाने वाली सभी मैनुअल, कोड, अन्य प्रक्रियात्मक साहित्य, रबड़ की मोहरे, साइन बोर्ड, पत्र शीर्ष, लिफाफों पर छपाई और स्टेशनरी की अन्य वस्तुएं अनिवार्य रूप से द्विभाषी रूप में होनी चाहिए / As per **Rule 11** of the **Official Language Rules, 1976**, all manuals, codes, procedural literature, rubber stamps, signboards, letterheads, printing on envelopes, and other stationery items must be in bilingual form.
3. उपर्युक्त प्रावधानों के अनुपालन में यह निर्देशित किया जाता है कि कार्यालय में प्रयुक्त सभी रजिस्ट्रों के शीर्ष/शीर्षनाम अनिवार्य रूप से द्विभाषी (हिंदी एवं अंग्रेजी) किए जाएं। साथ ही, रजिस्ट्रों में की जाने वाली प्रविष्टियाँ यथासंभव हिंदी में की जाएँ / In compliance with the above provisions, all **registers headings** must be bilingual (Hindi and English). Further, **entries** in the registers should be made in Hindi as far as possible.

सभी अनुभागाध्यक्ष विभागाध्यक्ष/इस संबंध में अपने-अपने विभागों/अनुभागों में इन निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करेंगे तथा समय-समय पर इसकी समीक्षा करेंगे / All Section Heads/Department Heads shall ensure compliance with these instructions in their respective departments/sections and review the same periodically.

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अंतर्गत इन निर्देशों के अनुपालन की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी तथा इसकी निगरानी हिन्दी अनुभाग द्वारा की जाएगी / Under **Rule 12** of the **Official Language Rules, 1976**, the responsibility for compliance lies with the concerned officers, and monitoring will be done by the "Hindi Section".

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए /

Strict compliance of the above instructions shall be ensured.


कौशल कुमार
(प्रशासन नियंत्रक)

प्रतिलिपि / Copy to:

1. सभी अनुभाग/ विभागाध्यक्ष आवश्यक अनुपालन हेतु / All Section/Department Heads – for necessary compliance.
2. सभी कर्मचारी/All staff members
3. निदेशक सचिवालय/Director's Secretariat
4. प्रशासन नियंत्रक सचिवालय/CoA's Secretariat
5. कार्यालय प्रति/Office copy

सीएसआईआर – भारतीय समवेत औषध संस्थान, जम्मू
CSIR – INDIAN INSTITUTE OF INTEGRATIVE MEDICINE, JAMMU

सं/Ref.: 1/185(4)/हि. प्र./2026-27-राभा.

दिनांक/Date: 17.04.2026

कार्यालय ज्ञापन | OFFICE MEMORANDUM


राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3(2) तथा राजभाषा नियम, 1976 के नियम 8(4), नियम 11 एवं नियम 12 के प्रावधानों के अनुसार उपसचिव एवं उससे उच्च स्तर के अधिकारियों द्वारा न्यूनतम 35% टिप्पणियाँ/श्रुतलेख हिन्दी में दिए जाने के संबंध में यह निर्देशित किया जाता है कि उपसचिव एवं उससे उच्च स्तर के सभी अधिकारी अपने द्वारा दिए जाने वाले श्रुतलेख (Dictation) का न्यूनतम 35 प्रतिशत हिन्दी में देना सुनिश्चित करें /

In accordance with Section 3(2) of the **Official Language Act, 1963** and **Rules 8(4), Rule 11 and Rule 12 of the Official Language Rules, 1976**. It is hereby directed that all officers of the rank of Deputy Secretary and above shall ensure that at least 35% of the dictation given by them is in Hindi. राजभाषा विभाग द्वारा जारी हिन्दी के प्रयोग के लिए वर्ष 2026-27 के वार्षिक कार्यक्रम में क्षेत्र 'ग' के लिए दिए गए निर्देशानुसार भी यह आवश्यक है / This is also required as per the **Annual Programme** for the use of Hindi for the year 2026-27 issued by the Department of Official Language for Region 'C'.

राजभाषा नियम, 1976 के नियम 12 के अंतर्गत इन निर्देशों के अनुपालन की जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों की होगी तथा इसकी नियमित समीक्षा की जाएगी / **Under Rule 12 of the Official Language Rules, 1976**, the responsibility for compliance of these instructions shall lie with the concerned officers, and it shall be reviewed regularly.

उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए /

Strict compliance of the above instructions shall be ensured.


कौशल कुमार
(प्रशासन नियंत्रक)

प्रतिलिपि / Copy to:

1. सभी अनुभाग/ विभागाध्यक्ष आवश्यक अनुपालन हेतु / All Section/Department Heads – for necessary compliance.
2. सभी कर्मचारी/All staff members
3. निदेशक सचिवालय/Director's Secretariat
4. प्रशासन नियंत्रक सचिवालय/CoA's Secretariat
5. कार्यालय प्रति/Office copy